

Tender Form sale upto 01.00 pm 14.12.2017  
Tender Reciept upto 02.00 pm 14.12.2017  
Tender Opening 03.00 pm 14.12.2017  
Estimated Cost Rs 09.00 Lacs  
Earnest money Rs 1,00,000/-



## दी राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड,

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

उद्योग भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302005

दूरभाष 0141-2227267 फैक्स 0141-5115766

**Website :** www.rajsico.gov.in **E-mail:** rajsico@rajasthan.gov.in

पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव-2018, जोधपुर

दिनांक 05.01.2018 से 14.01.2018

निविदा सूचना संख्या: प.रा.उ./2018/09

कार्य का नाम एवं स्थान- रावण का चबूतरा मैदान में पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव-2018 में अवधि 05.01.2018 से 14.04.2018 में कियोस्क - आईसक्रीम

“एच” शेड्यूल

निविदा फार्म शुल्क 200/-

कियोस्क - आईसक्रीम नं.	प्रस्तुत दर पूर्ण अवधि हेतु (नियमानुसार, जी.एस.टी. अलग से देय होगा)
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

- विषय जिस कार्य हेतु निविदा प्रस्तुत की जानी है।
- निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम व डाक का पता मय टेलीफोन नं. सहित
- निविदा सूचना संख्या: प.रा.उ./2018/09 जो दी राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लि., उद्योग भवन, जयपुर के द्वारा जारी की गई है, में वर्णित समस्त शर्तों का पालन करने के लिये हम सहमत है, तथा उक्त निविदा सूचना की अन्य शर्तें जो सलग्न पृष्ठों में दी गई है, जिसके समस्त पृष्ठों पर उनमें वर्णित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रतीक स्वरूप हमने हस्ताक्षर कर दिये है, का पालन करने के लिये हम सहमत है।
- अमानत राशि हेतु दी राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड के पक्ष में जयपुर में देय राशि----- रूपये का डिमान्ड ड्राफ्ट/ बैंकर्स चैक संख्या ----- दिनांक----- सलग्न प्रस्तुत है। ( अमानत राशि एक मुश्त डी.डी./ बैंकर्स चैक ही स्वीकार्य होगा।)

आईसक्रीम कियोस्क

मैसर्स -----

डाक का पता :-----

टेलीफोन नं. :-----

पैन नं. -----

जीएसटी नं. -----

निविदादाता के हस्ताक्षर

## शर्तः—

1. नियमानुसार जी.एस.टी. अलग से देना होगा।
2. निविदादाता को कम से कम जिला स्तरीय उत्सव/ मेला अथवा प्रदर्शनी आयोजन में आईसक्रीम स्टाल संचालन का अनुभव होना आवश्यक है।
3. उत्सव स्थल पर बताये गये स्थान पर अपने स्वयं के खर्चे से टैन्ट, टेबल कुर्सी, क्रॉकरी, डिस्पोजल एवं शुद्ध पेयजल आदि का प्रयोग करते हुए, फुल टाइम संचालन करना होगा। संभावित 9 कियोस्क होंगे मौके पर संख्या घट-बढ़ सकती है।
4. विद्युत कनेक्शन हेतु कमेटी द्वारा निर्धारित पाइन्ट दिये जावेंगे तथा अतिरिक्त पाइन्ट चाहने पर मेला समन्वयक/गठित कमेटी द्वारा निर्धारित विद्युत शुल्क अलग से वसूल होगा।
5. अपने उत्पाद/बिक्री की जाने वाली वस्तु का ब्राण्ड, वजन एवं मूल्य अंकित कर प्रदर्शित करना होगा। विक्रय की जाने वाली वस्तु उत्तम गुणवत्ता की होनी चाहिए।
6. सभी सामग्री पैक अथवा डिस्पोजल क्राकरी में सफ़ाई करनी होगी। उपभोग में ली गई क्राकरी, डिस्पोजल को तुरन्त एकत्रित कर कचरा पात्र में डलवाना होगा। सफ़ाई व्यवस्था का पूर्ण ध्यान रखना होगा। डिस्पोजल कागज से निर्मित होगी। प्लास्टिक प्रतिबंधित रहेगा।
7. सामान लाने व ले जाने एवं किसी प्रकार की क्षति कमी-पेसी की जिम्मेवारी स्वीकृत निविदाधारी की होगी।
8. मेला समन्वयक/गठित कमेटी द्वारा दी जाने वाली हिदायतों/निर्देशों का पूर्ण पालन करना होगा। ऐसा नहीं करने पर पेनल्टी लगाने अथवा निविदा तुरन्त रद्द कर अन्य निविदा जारी करने का अधिकार निगम के पास रहेगा।
9. निविदा स्वीकृत होने पर स्वीकृत राशि के 75 प्रतिशत एवं जी.एस.टी. की राशि (अमानत राशि को सम्मिलित करते हुए) तुरन्त बैंक द्वारा जमा करवानी होगी, तथा शेष 25 प्रतिशत एवं जीएसटी की 03 जनवरी, 2018 तक जमा करनी होगी। निर्धारित अवधि तक भुगतान नहीं होने की स्थिति में आवंटन निरस्त कर जमा राशि जब्त कर ली जावेगी। एवं ठेका अन्य को दे दिया जावेगा जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।
10. निविदा स्वीकृति/अस्वीकृति का निर्णय निगम के पास सुरक्षित है।
11. स्थल को किसी अन्य को हस्तान्तरण/सबलेट नहीं कर सकेंगे।
12. निविदादाता को अपना संचालन निर्धारित स्थान पर ही करना होगा। निर्धारित स्थान से अतिरिक्त किसी स्थान का उपयोग नहीं कर सकेगा, न ही अन्यत्र स्थान पर कोई फर्नीचर आदि रख सकेगा।
13. स्वीकृति निविदा राशि के अतिरिक्त नियमानुसार देय कर (मय जी.एस.टी.) का भुगतान करना होगा।
14. निविदा स्वीकृति के तीन दिवस के भीतर 500/-रूपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर अनुबन्ध निष्पादित करना होगा।
15. अपरिहार्य कारणों जैसे प्राकृतिक आपदा, महामारी इत्यादि की वजह से उत्सव आयोजन स्थगित या निरस्त भी किया जा सकता है। जिसके लिये निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा जब भी उक्त उत्सव आयोजित किया जायेगा तब समस्त कार्य उक्त निविदा में स्वीकृत दरो पर ही करना होगा।
16. निविदादाता को खाद्य पदार्थ विक्रय का लाईसेन्स प्रस्तुत करना होगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय नाम  
व पोस्टल पते के साथ  
मोबाइल नं.